न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम हुक्माराम पुत्र झुंताराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी

प्रा.पत्र नम्बर 43/2022 **GCMS No. 2022/91**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
08.04.2024	अप्राथी हुक्माराम पुत्र झुंताराम जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3378/134 रकबा 0.0860 हैक्टर कृषि भूमि में खातेदारी की आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरूद्व एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 23.03.2022 को जारी की गई है। उपरोक्त कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिये जाने से पूर्व निर्धारित रीति अनुसार प्राधिकारी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी के यहॉ से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की घारा 90 –क के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अनुज्ञा प्राप्त करना चाहते है परन्तु प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञा होने से आगे की कार्यवाही नही हो पा रही है, इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में उभय पक्षकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब इत्यादि का अवलोकन किय गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनो अनुसार उपरोक्त भूमि को प्राधिकृत अधिकारी के यहॉ भूमि रूपान्तरण हेतु प्रार्थना–प्रस्तुत कर आगे की कार्यवाही करवाना चाहते है। अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र में अंकित कथनो पर विश्वास करते हुए प्रार्थना–पत्र न्यायिक दृष्टि से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 23.03.2022 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (डीडवाना-कुचामन) Signature Not Verified Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya Date: 2024.08.01 16:26:41 IST Reason: SelfAttested	